© 2018 IJSRST | Volume 4 | Issue 2 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X
Themed Section: Science and Technology

सल्तनतकालीन इक्ता–व्यवस्था

परवीन जहाँ

जे.आर.एफ. शोध–छात्रा

मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिल्ली सल्तनत में प्रान्तीय शासन–व्यवस्था का विकास धीरे–धीरे हुआ और इस दिशा में पहला कदम इल्तुतमिश ने उठाया, जब उसने 'इक्तादारी प्रथा' का विकास किया।[प] उसने राज्य को अनेक छोटे–बड़े भू–खण्डों में विभक्त कर दिया, जो 'इक्ता' कहे जाते थे।[पप] उस समय दिल्ली सल्तनत में प्रान्तों को 'इक्ता' पुकारते थे। इक्ता शब्द मूल (तत्सम) शब्द 'किता' से बना है, जिसका अर्थ 'भाग' अथवा भागों में बाँटने के लिए किया जाता है। इस आधार पर इक्ता पद्धति का अर्थ है कि कृषक उपज का एक निश्चित भाग सुल्तान को देने के लिए बाध्य था। इस युग में इक्ताओं की न तो संख्या निश्चित की जा सकी थी और न ही उनका शासन प्रबन्ध समान हो सका था। प्रत्येक इक्ता का प्रधान मुक्ती, नाजिम, नाइब–सुल्तान अथवा वली के नाम से पुकारा जाता था।[पपप] भारत विजय के पश्चात् तुर्को के समक्ष प्रमुख समस्या विजयश्री प्राप्त प्रदेशों पर नियंत्रण स्थापित रखने तथा वहाँ से राजस्व वसूली की रही। इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न तुर्क सुल्तानों ने विजित प्रदेशों को इक्ता के रूप में देना प्रारम्भ किया तथा इसका धारक 'मुक्ती' अथवा 'इक्तादार' कहा जाता था। इक्ता को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है – प्रान्तीय स्तर की इक्तायें एवं छोटी इक्तायें। उच्च अमीरों को प्रान्तीय स्तर की इक्तायें दी जाती थी जिनके व्यक्तियों अथवा इक्तादारों के प्रशासनिक राजस्व सम्बन्धी तथा सैनिक उत्तरदायित्व थे। अपनी इक्ताओं में वे अपना तथा अपने सैनिकों का वेतन काटकर अवशेष धनराशि सुल्तान के पास भेजते थे। ऐसे उपलब्ध साक्ष्यों से बोध होता है कि मुक्ता को इक्ता में से छोटी–छोटी इक्तायें प्रदान करने का अधिकार था। ताजउद्दीन संजर कुतलुक बदायूँ के मुक्ता ने इतिहासकार मिनहाज सिराज को जीवन निर्वाह के लिए इक्ता प्रदान की थी।[पअ] प्रान्तीय स्तर की छोटी इक्तायें सुल्तान द्वारा नियुक्त सैनिकों को वेतन के बदले दी जाती थी जहाँ से वे भू–राजस्व की उगाही करते थे। मोरलैण्ड के अनुसार इक्ता भूमि का वह भाग था जो सैनिक सेवा के लिए दिया गया हो। मोरलैण्ड ने इक्ता को ऐसी भूमि का टुकड़ा भी स्वीकार किया है जो लगान के समर्पण के बदले दिया गया है।[अ] इस प्रकार की प्रदत्त इक्ताओं को खालसा भूमि का अंग माना जाता था। इसके प्राप्त करने वालों को किसी भाँति

के प्रशासनिक एवं आर्थिक उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करना होता था। बर्नी के अनुसार सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली के समीप तथा दोआब में इस प्रकार की इक्ताओं की संख्या दो हजार थी।

'तबकात–ए–नासिरी' से ज्ञात होता है कि भारत में इक्ता प्रदान करने की सर्वप्रथम प्रथा सुल्तान मुइजुद्दीन ने प्रारम्भ किया जिसने 1192 ई0 में कुतुबुद्दीन ऐबक को कोहराम तथा मलिक नासिरुद्दीन एतिमुर को उच्छ तथा मुल्तान की इक्तायें प्रदान की थी।[अप] मलिक एतिमुर की मृत्यु के पश्चात् उसके मालिक नासिरुद्दीन कुबाचा को उच्छ की इक्ता प्रदान की थी।[अपप] सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शम्सुद्दीन इल्तुतमिश को बदायूँ की इक्ता दी थी। जब 1211 ई0 में इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना तो उसके राज्यकाल में इक्ता प्रदत्त किये जाने का सामान्य प्रचलन हो चला। 'तबकात–ए–नासिरी' के लेखक मिनहाज सिराज लिखता है कि सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन को सर्वप्रथम हाँसी, बादमें अवध तथा रुकनुद्दीन फिरोज को पहले बदायूँ और फिर लाहौर की इक्ता दी थी।[अपपप] अमीरों, सैनिकों एवं 'तुर्कान–ए–चहलगानी' के सदस्यों को भी इक्तायें दी गयी। ये इक्तादार अपने क्षेत्रों में अत्यधिक शक्तिशाली न हो पायें इसलिए वह उन्हें स्थानान्तरित भी किया करता था। सुल्तान इल्तुतमिश के बाद उसके उत्तराधिकारियों के राज्यकाल में मुक्ता अथवा इक्तदार का सशक्त हो जाना स्वाभाविक था। छोटी इक्ताओं के इक्तादारों को 'सवार–ए–कल्ब' कहते थे।[पग] इल्तुतमिश के शासन काल में अनेक इक्तादारों का निधन हो चुका था, कुछ वृद्ध एवं निर्बल हो जाने के कारण सैनिक सेवा में असमर्थ हो चुके थे तथा उनके पुत्र उनकी इक्ताओं को अपने पिता से प्राप्त अधिकार स्वरुप समझते थे।[ग] सैनिक सेवा के निमित्त कभी बुलाये जाने पर वे 'दीवान–ए–आरिज' में कोई बहाना लिखकर प्रेषित कर देते अथवा बिना किसी तैयारी के पहुँच जाते थे। सुल्तान बलबन को जब इसकी जानकारी दी गयी तो उसने सैनिक इक्तादारों (सवार–ए–कल्ब) को तीन श्रेणियों में बाँट दिया – प्रथम श्रेणी में वे लोग थे जो पूर्णतः वृद्ध एवं दुर्बल होने के साथ–साथ युद्ध के लिए सक्षम न रह गये थे। उनके लिए 40 से 50 टँके इदरार (वजीफा, वृत्ति) निर्धारित कर दिया गया और उनका गाँव खालसा में मिला लिया गया। द्वितीय श्रेणी में वे युवक सम्मिलित थे जिनका वेतन उनकी योग्यता के आधार पर निर्धारित किया गया तथा आज्ञा दी गयी कि द्वितीय श्रेणी के लोगों के अधिकार में जो गाँव है, उनके राजस्व में से वेतन निकालकर जो धनराशि शेष बचे उसे प्रतिवर्ष दीवान द्वारा वसूल किया जाये, किन्तु उनके गाँव जब्त न किये जायें। तृतीय श्रेणी में अनाथ बच्चों एवं वे लोग सम्मिलित थे, जिनके पास गाँव थे तथा जो अपने दासों के द्वारा घोड़े, अस्त्र–शस्त्र आदि 'दीवान–ए–आरिज' में भेज देते थे। उनके विषय में आदेश दिया गया कि अनाथों एवं विधवाओं के भोजन एवं वस्त्र का प्रबन्ध उनके गाँवों से कराया जाये। उनके गाँवां का राजस्व भी शाही कोषागार में जमा करा दिया जाये तथा उनके गाँव ले लिये जायें।

बर्नी के अनुसार सुल्तान बलबन के इस आदेश से 'कल्ब–ए– शम्मी' के इक्तादारों में करुणाप्रद हलचल मच गया और वे कोतवाल फखरुद्दीन[गप] की सेवा में उपस्थित होकर उससे अनुनय–विनय किया कि

वह उन दुःखी इक्तादारों के लिए सुल्तान से संस्तुति कर इक्ता सम्बन्धी नियम निरस्त करवा दे। बर्नी लिखता है कि कोतवाल शोक मुद्रा में सुल्तान के समक्ष उपस्थित होकर उनसे निवेदन किया कि वह वृद्ध इक्तादारों पर दया प्रदर्शित करते हुए इस आदेश पर पुनर्विचार करे। इस पर सुल्तान ने आदेश दिया कि ''समस्त इक्तादारों के पास जो गाँव थे वे उनको पूर्णतया दे दिये गये और आज्ञा दी गयी कि वह आदेश जो इक्तादारों को तीन श्रेणियों में विभाजित करने के लिए दिया गया है, वृद्ध एवं प्रसिद्ध इक्तादारों और उनके सरदारों के सामने रद्द कर दिया जाये।''[गपप] परन्तु आधुनिक इतिहासकारों का विचार है कि केवल वृद्ध इक्तादारों से सम्बन्धित आदेश ही रद्द किया गया और शेष पर कार्यवाही की गयी। उसने वंशानुगत इक्ता के सिद्धान्त को अस्वीकार कर दिया तथा इक्तादारों के क्रिया–कलापों पर दृष्टि रखने के लिए ख्वाजा की नियुक्ति भी की।

अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण सहित लगभग सम्पूर्ण देश को विजय किया और यद्यपि वह मौलिक तथा रचनात्मक राजनीतिज्ञ था, किन्तु उसने भी छोटे तथा बड़े प्रान्तों को पूर्ववत् रहने दिया। इसलिए उसके शासनकाल में दो प्रकार के प्रान्तों का अविर्भाव हुआ अर्थात् इक्ते वे जो पहले से ही दिल्ली सल्तनत के अधीन चले आ रहे थे और द्वितीय वे इक्ता थे जिनको विजित कर उसी के समय में दिल्ली सल्तनत के अधीन किया गया था। दूसरे प्रकार के इक्ताओं में मुक्ती अथवा वली के कुछ अधिकार थे, जिससे वह अपने इक्ता को दिल्ली सल्तनत के पूर्ण प्रभाव में ला सके। इसके अतिरिक्त हिन्दुओं के (दक्षिणी भारत) के वे राज्य थे, जिन्होंने सुल्तान की अधीनता स्वीकार करके उसे वार्षिक कर देना आरम्भ किया था, यद्यपि अपने आन्तरिक शासन में वे स्वतन्त्र थे। अपने–अपने क्षेत्रों में मुक्ती अथवा वली को वे सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त थे, जो सुल्तान को केन्द्र पर प्राप्त थे और उसी प्रकार शासन का उत्तरदायित्व भी उन पर था। मुक्ति की तुलना में वली का पद तथा प्रतिष्ठा कहीं अधिक ऊँची थी।[गपपप] बड़े प्रान्तों की संख्या समयानुसार घटती बढ़ती रहती थी। खिलजी तथा वलियों दोनों को अपने–अपने क्षेत्रों में सेनायें रखनी पड़ती थी। खिलजी तथा तुगलक सुल्तानों के शासनकाल में बंगाल, गुजरात, जौनपुर, मालवा, खानदेश तथा दक्षिण सबसे महत्वपूर्ण सैनिक प्रान्त थे। जब तक वे सुल्तान की आज्ञा का पालन करते और आवश्यकतानुसार सैनिक सहायता देते तब तक वे अपरिमित शक्ति का उपभोग करते थे। उन्हें अपने आय–व्यय का हिसाब रखना पड़ता था और बचत का धन केन्द्रीय सरकार के कोष में जमा करना पड़ता था। मुक्तियों तथा वलियों को इस्लामी कानून की रक्षा करना तथा उन्हें कार्यान्वित करने, उलेमा की रक्षा करने, न्याय शासन का प्रबन्ध करने, न्यायालयों के निर्णयों को कार्यान्वित करने, राजमार्गों को डाकुओं से सुरक्षित रखने तथा व्यापार–वाणिज्य और भौतिक समृद्धि को प्रोत्साहन देने का आदेश दिया जाता था। सुल्तान की आज्ञा के बिना वे राज्य–विस्तार के लिए युद्ध नहीं कर सकते थे और जब वे सुल्तान की आज्ञा के पश्चात् युद्ध करते थे तो लूटे हुए माल में से केन्द्रीय सरकार को हिस्सा देते थे। कोई भी मुक्ती राजदण्ड, छत्र और सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता था। वे सुल्तान की भाँति दरबार नहीं कर सकते थे, अपने नाम से खुतवा नहीं पढ़वा सकते थे और सिक्के नहीं चला सकते थे।

ऐतिहासिक स्रोतों से यह ज्ञात होता है कि खिलजी सुल्तानों एवं आरम्भिक सुल्तानों के राज्यकाल में इक्तादारों की नियुक्ति में भी कमी आयी थी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शाही सैनिकों को वेतन के बदले में इक्ता प्रदान करने की प्रथा समाप्त कर दी और अब उन्हें राजकोष से वेतन प्राप्त होने लगा। जहाँ तक प्रान्तीय स्तर के इक्तादारों का सम्बन्ध है अब उनके अधिकारों में कमी आयी तथा राजस्व के क्षेत्र में केन्द्रीय नियंत्रण वृद्धि होने लगी। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने इक्ता के राजस्व में मुक्ता की धनराशि तथा उनके अधीन सैनिकों के वेतन की धनराशि का स्पष्ट विभाजन कर दिया।[गपअ] अब मुक्तियों को यह आदेश दिया गया कि अनुमानित राजस्व से अधिक वसूली की दिशा में वे अतिरिक्त आय (फ़वाजिल) में से पाँच से दस प्रतिशत तक स्वयं रखकर शेष धनराशि शाही कोषागार को भेज दें। सैनिकों के लिए आवंटित धनराशि में से मुक्ता को कुछ लेने का अधिकार नहीं था।[गअ] सुल्तान मुहम्मद तुगलक के राज्यकाल में इक्ता में प्रशासन के हस्तक्षेप में अधिक वृद्धि हो गयी। सुल्तान ने इक्ता में राजस्व उगाही (वसूली) का ठेका देना प्रारम्भ किया।

उसने राजस्व वसूली का अधिकार मुक्ता से लेकर 'वली उल खराज[गअप] नामक अधिकारी को प्रदान किया। सुल्तान फिरोजशाह तुगलक ने इक्ता व्यवस्था में उदार नीति का अनुसरण किया। उससे सैनिकों को वेतन के रूप में इक्ता प्रदान करने की नीति का पुनः प्रचलन किया तथा इसे वंशानुगत बना दिया।[गअपप] उसने अनुमानित राजस्व (जमा) को स्थायी बना दिया। लोदी शासकों के समय में मुक्ती तथा वली स्वच्छन्दता से व्यवहार करते थे। उनके पास बड़ी–बड़ी सेनायें तथा हाथी भी थे जिन पर अधिकांश समय में सुल्तान का एकाधिपत्य रहा था जिसका उल्लेख पूर्व में किया गया है। उस सम्पूर्ण युग में मुक्ती अथवा वली अधिक शक्तिशाली रहे। समय–समय पर हुए विद्रोहों और राजवंश में परिवर्तन होने का एक बड़ा कारण रहा। डॉ0 आशीर्वादी लाल के अनुसार 'दुर्बल सुल्तानों के समय में वे वास्तविक शासकों जैसा व्यवहार करते तथा अपरिमित सत्ता का उपयोग करते थे। फिरोजशाह तुगलक के दुर्बल उत्तराधिकारियों के समय में इनमें से कुछ सूबेदार सरलता से स्वतन्त्र शासक बन बैठे।[गअपपप]

सुल्तान सिकन्दर लोदी ने भी इक्तादार की मृत्योपरान्त न तो भूराजस्व की जमा राशि अथवा निर्धारित राशि में वृद्धि की और न ही मृतक इक्तादार के पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया। उसने पिता की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र को इक्ता स्थानान्तरित करने की नीति अपनायी। इस काल में प्रमुख सेनापतियों ने अपनी इक्ता में से अपने सैनिकों को वेतन के रूप में छोटी–छोटी इक्तायें अथवा भू–क्षेत्र का राजस्व आवंटित करना आरम्भ किया।

इस प्रकार इक्ता व्यवस्था विभिन्न चरणों का इतिहास निरुपित करती है। आरम्भ में यह सुल्तान तथा पेशकशी प्रान्तपतियों के मध्य सल्तनत का एक सरल विभाजन था, परन्तु सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इक्ता पर केन्द्रीय नियंत्रण बढ़ने लगा। तुगलक वंश के आरम्भिक सुल्तानों के काल अर्थात् 14वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक इक्ता की आय में वृद्धि हुई तथा उस पर केन्द्रीय नियंत्रण भी सुदृढ़ हुआ। किन्तु

इसी शताब्दी के मध्य से इक्ता पर केन्द्र का नियंत्रण शिथिल हो गया जिससे इक्तादार अनुबद्ध किश्तों के साथ उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं अपने पास रखने लगे। इस प्रकार शक्तिहीन सुल्तानों के शासनकाल में 'इक्तादारी व्यवस्था' सल्तनत के विघटन में सहायक सिद्ध हुई।

इस प्रकार दिल्ली सुल्तानों की यह इक्तादारी व्यवस्था राजपूत शासकों की सामन्ती प्रथा से पृथक थी। मूलतया अपने बड़े सैनिक अधिकारियों को वेतन देने के लिए भू–क्षेत्र प्रदान कर देने से इसका आरम्भ हुआ, परन्तु बाद में यह दूरस्थ प्रदेशों को प्रशासकीय रूप से केन्द्र को बाँधे रखने में तथा केन्द्र की आय में वृद्धि करने में, जिससे उसकी सैनिक शक्ति में वृद्धि सम्भव हुई और दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो सका, सहायक सिद्ध हुई।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

प इमत्याज अहमद : मध्यकालीन भारत, पृ0 122

पप हरिश्चन्द्र वर्मा : मध्यकालीन भारत, भाग–1, पृ0 337–38

पपप एल0पी0 शर्मा : मध्यकालीन भारत, पृ0 320

पअ सैय्यद अत्तर अब्बास रिज़वी : आदि तुर्ककालीन भारत, पृ0 69

अ यू0एन0 डे : द गवर्नमेन्ट ऑफ द सल्तनत (1972), पृ0 112–115

अप हरिश्चन्द्र वर्मा : मध्यकालीन भारत, भाग–1, पृ0 345

अपप अतहर अब्बास रिज़वी : आदि तुर्ककालीन भारत, पृ0 9

अपपप अतहर अब्बास रिज़वी : आदि तुर्ककालीन भारत, पृ0 31–32

पग हरिश्चन्द्र वर्मा : मध्यकालीन भारत, भाग–1, पृ0 345

ग अतहर अब्बास रिज़वी : आदि तुर्ककालीन भारत, पृ0 169

गप हरिश्चन्द्र वर्मा : मध्यकालीन भारत, भाग–1, पृ0 346

गपप डॉ0 ए0बी0एम0 हबीबुल्ला : दि फाउण्डेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इण्डिया, (1971), पृ0 169

गपपप डॉ0 आशीर्वाद लाल : दिल्ली सल्तनत, पृ0 282

गपअ हरिश्चन्द्र वर्मा : मध्यकालीन भारत, भाग–1, पृ0 348

गअ अतहर अब्बास रिज़वी : तुगलक कालीन भारत, भाग–1, पृ0 37

गअप हरिश्चन्द्र वर्मा : मध्यकालीन भारत, भाग–1, पृ0 348

गअपप हरिश्चन्द्र वर्मा : मध्यकालीन भारत, भाग–1, पृ0 350

गअपपप डॉ0 आशीर्वाद लाल : दिल्ली सल्तनत, पृ0 282